प्री प्राईमरी से जूनियर हाईस्कूल तक अंग्रेजी माध्यम

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया

आदेश संख्या : 13148-52 /2015–16 दिनांकः 25-5-2015

प्रबन्धक,

लिटिल फ्लावर चिल्ड्रेन स्कूल
किड़िहरापुर
शिक्षा क्षेत्र– सीयर।
जनपद– बलिया

विषय– **निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2014 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं **लिटिल फ्लावर चिल्ड्रेन स्कूल किड़िहरापुर, शिक्षा क्षेत्र –** सीयर **जनपद– बलिया** को कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक हेतु 01.07.2014 से 30.06.17 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन हैः–

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस में बालकों की संख्या के 25 (पच्चीस) प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों, और सुविधा विहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालाकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रिनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चत करेगाः–
   - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अभिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।
   - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
   - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अभिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है। पॉच वर्ष के अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।
   - अध्यापकों अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।